

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लैब टेक्नीशियन/1142/2018/

दिनांक :

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/लैब टेक्नीशियन/1142/2018/419 दिनांक 16.07.2018 के क्र.स. 15 पर अंकित श्री देवेन्द्र सिंह गौड, लैब टेक्नीशियन का 18 वर्ष का एसीपी स्वीकृत किये गये थे, में आंशिक संशोधन करते हुये एसीपी देय तिथि 09.08.2016 के स्थान 09.12.2016 पढा जावे।

आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

हव

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लैब टेक्नीशियन/1142/2018/ 679

दिनांक : 28/12/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

1. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. श्री देवेन्द्र सिंह गौड, लैब टेक्नीशियन को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर